प्रेस नोट दिनांक 11.12.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा ई-रिक्शा की बैटरी चोरी की घटना का किया खुलासा — 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 02 अदद बैटरी बरामद-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को 02 अदद बैटरी (ई-रिक्शा) के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत दुआरनाला के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 28.11.2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी नि0 तिलौरी (अमरही) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के बरामदे से ई-रिक्सा से 04 अदद बैटरी निकाल ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुण्डा में तहरीर दी गई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 मो0 यूनुस खान मय हमराह उ0नि0 राजकुमार यादव, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 विशाल मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 334/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त विशाल वर्मा पुत्र विजय वर्मा निवासी छीटीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष को चोरी के 02 अदद बैटरी (ई-रिक्शा) के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत दुआरनाला के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद बैटरी (ई-रिक्शा) बरामद किया गया है, बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. विशाल वर्मा पुत्र विजय वर्मा निवासी छींटीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त विशाल वर्मा पुत्र विजय वर्मा निवासी छींटीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 06/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 109, 3(5), 352 बीएनएसएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 334/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मो0 यूनुस खान मय हमराह उ0नि0 राजकुमार यादव, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 विशाल मौर्या थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।